

नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड

(निबंधित कार्यालय : विद्युत भवन, बेली रोड, पटना)

(राजस्व विभाग)

(CIN NO.-U40109BR2012SGC018920)

107

पत्रांक : REV/ Compounding offences/432/17- 831

दिनांक : 29/07/2017

प्रेषक,

विजय कुमार,

महाप्रबंधक (राजस्व)

सेवा में,

विद्युत कार्यपालक अभियंता,

सहायक विद्युत अभियंता (राजस्व)/राजस्व पदाधिकारी

लेखा पदाधिकारी

सभी विद्युत आपूर्ति प्रमंडल

सहायक विद्युत अभियंता

कनीय विद्युत अभियंता (राजस्व)

सभी विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल

कनीय विद्युत अभियंता

सभी विद्युत आपूर्ति प्रशाखा

विषय :- इलेक्ट्रीसिटी एक्ट, 2003 की धारा 152 के अंतर्गत Compounding of offences (अपराधों का शमन) के तहत वसूली की राशि को राज्य सरकार के प्राप्ति शीर्ष में जमा करने के संबंध में।

प्रसंग :- महालेखाकार (ले0 एवं0 ह0), बिहार सरकार के कार्यालय का पत्रांक 387 दिनांक 20.07.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में कहना है कि बिहार इलेक्ट्रीसिटी सप्लाय कोड- 2007 की कंडिका 11.2.4 में निहित प्रावधानुसार Compounding of offences (अपराधों का शमन) के तहत वसूली की राशि को राज्य सरकार के खाता में जमा किया जाना है।

इस संदर्भ में महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार पटना ने मुख्य शीर्ष-0043-विद्युत कर तथा शुल्क, उपमुख्य शीर्ष-00, लघुशीर्ष 102-भारतीय विद्युत नियमावली के अंतर्गत फीस के अंतर्गत समूह शीर्ष-राजस्व प्राप्ति अंतर्गत उपशीर्ष-0003-अपराधों का शमन के तहत वसूली खोलने में सहमति प्रदान की है, जिसका विपत्र कोड संख्या-R-0043-00-102-0003 है (पत्र की प्रति संलग्न)।

अतः सूचित करना है कि Compounding of offences (अपराधों का शमन) के तहत वसूली की गई राशि पत्र में वर्णित Receipt head (प्राप्ति शीर्ष) में जमा होगी।

अनु0:-यथा वर्णित।

विश्वासभाजन,

विजय कुमार,
महाप्रबंधक (राजस्व)



18/105

15

महालेखाकार (ले० एवं ह०) का कार्यालय, बिहार, पटना
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), BIHAR, PATNA

पत्रांक टी०एम०-उपशीर्ष-२२-(१७-१८)-३४७

दिनांक १०/०७/२०१७

सेवा में,

सचिव (संसाधन)
वित्त विभाग,
बिहार सरकार, पटना ।

विषय:- मुख्य शीर्ष-००४३-विद्युत कर तथा शुल्क, उपमुख्य शीर्ष-००, लघुशीर्ष १०२-भारतीय विद्युत नियमावली के अंतर्गत फीस के अंतर्गत समूह शीर्ष-राजस्व प्राप्तियों अंतर्गत उपशीर्ष- ०००३-अपराधों का शमन के तहत वसूली खोलने में सहमति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-अ०पा०-०८/२०११-७१९ दिनांक- ३०.०६.२०१७ के संदर्भ में महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना ने मुख्य शीर्ष-००४३-विद्युत कर तथा शुल्क, उपमुख्य शीर्ष-००, लघुशीर्ष १०२-भारतीय विद्युत नियमावली के अंतर्गत फीस के अंतर्गत समूह शीर्ष-राजस्व प्राप्तियों अंतर्गत उपशीर्ष-०००३-अपराधों का शमन के तहत वसूली खोलने में सहमति प्रदान की है, जिसका विपन्न कोड संख्या- R0043-00-102-0003 है।

कृपया पत्र की पावती दें।

भवदीय,


वरीय लेखा अधिकारी
बिहार, पटना



